

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2013, जिसे सा.का.नि. 194 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/1/2018-डीजीएडी, दिनांक 08 फरवरी, 2018, जिसे 08 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा शुरू की थी और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 मार्च, 2013 जिसे सा.का.नि. 194 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"4. इस अधिसूचना में निहित किसी भी बात के बावजूद यह 25 मार्च, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक लागू रहेगी, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो।"

(फाइल संख्या 354/10/2007-टीआरयू (पार्ट.11))

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2013 को सा.का.नि. 194 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।